नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08-01-26

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा सरहद मौजा भागवा रघुनाथगढ तहसील सिवाना के खसरा संख्या 419 में से रास्ते प्रयोजनार्थ हेतु रकबा 0.0405 राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया था जिसका तरमीम पश्चात उक्त समर्पण भूमि का नया संख्या 730/419 बना, जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई, प्रार्थीण उक्त रास्ते की भूमि में से ही आवागमन करते है तहसील सिवाना को ऑनलाईन करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से खसरा संख्या 730/419 की भूमि मे खसरा संख्या 722/419 की तरमीम कर दी गई जो अशुद्ध है, खसरा संख्या 730/419 का रकबा तरमीम सुद 0.0405 हैक्टेयर की तरमीम में जो खसरा संख्या 722/419 का रकबा 01.05 बीघा अर्थात 0.2024 हैक्टेयर भूमि को आन लाईन नक्शा ट्रेस में समाहित की गयी है जो तरमीम सेमहज रकबा 0.0120 हैक्टयेर अर्थात रकबा 0.02 बिस्वा से कम बतायी है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 722/419 की तरमीम खसरा संख्या 730/419 से हटाया जाकर सही व शुद्ध तरमीम कर नक्शा में शुद्धि करवाई जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार सर्वे रिसर्वे से पर्वू समर्पण की भूमि (रास्ता) पर खातेदारी भूमि खसरा संख्या 722/419 की तरमीम की गई थी जो गलत थी सर्वे –रिसर्वे के दौरान खसरों को मौका अनुसार शुद्ध कर दिया गया है।

तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को चाहा गया अनुतोष प्रदान कर दिया गया है प्रार्थना पत्र में अब कोई अनुतोष शेष नहीं रहने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 08.01.2026 को न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)